झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/787/2013– .... राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० शिवानंद राय,
संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **कोडरमा जिलान्तर्गत सतगाँवा प्रखण्ड के ग्राम घुरमुरिया एवं मांझेडीह के नजदीक छोटनर नदी से हो रहे कटाव संरक्षण हेतु ₹ 305.09 लाख (तीन करोड़ पाँच लाख नौ हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. कोडरमा जिलान्तर्गत सतगाँवा प्रखण्ड के ग्राम घुरमुरिया एवं मांझेडीह के नजदीक छोटनर नदी से हो रहे कटाव संरक्षण हेतु ₹ 305.09 लाख (तीन करोड़ पाँच लाख नौ हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस कार्य के अंतर्गत 2000 मी० की लम्बाई में गार्डवाल निर्माण कार्य एवं गार्डवाल की ऊँचाई HFL से 30cm उपर रखने एवं नींव Scourdepth के अनुसार निर्धारित कर निर्माण कराया जाएगा।

4. प्रस्तावित कार्य वर्ष 2015 के वर्षात के पूर्व तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. इस कार्य पर होनेवाला व्ययः–

i मुख्य शीर्ष –4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –01– बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–58–नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 44 लघु निर्माण कार्य एवं

ii मुख्य शीर्ष –4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –01– बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–58–नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 44 लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत भारित होगा।

6. प्रस्तावित कार्य जलपथ प्रमण्डल बरही द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल बरही इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2014–15 के प्रस्तावित बजट में उपबंध है।

9. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

10. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(शिवानंद राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/787/2013– .... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(शिवानंद राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/787/2013– .... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(शिवानंद राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/787/2013– 91/13-14 प्र.सी. राँची, दिनांक 03.03.2014

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, बरही/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14
(शिवानंद राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)
03/03/14